समान अवसरों की नीति

1. नीति बयान

रेज़िडेंशल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल सर्विस अपने सदस्यों, स्टाफ़ और उपयोगकर्ताओं के साथ न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नीति है जाति, जातीय या राष्ट्रीय मूल, उम्र, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्तर, असमर्थता, घरेलू ज़िम्मेदारियों या यौन रुचि की ध्यान दिए बिना निष्पक्ष व्यवहार करना। RPTS एक ऐसे माहौल को प्रोत्साहित करने की ज़िम्मेदारी लेता है जो भेदभाव रहित हो, और जो हमारे समाज की विविधता को प्रतिबिंबित करने का लक्ष्य रखे। हमारा लक्ष्य यह निश्चित करना है कि व्यक्ति भेदभाव महसूस न करें और उनके साथ ही किसी भी रुप में भेदभाव न हो।

इस नीति बयान की पुष्टि RPTS के मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा की गई है।

2. संबंधित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ

RPTS की समान अवसरों की नीति निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप और उनकी भावना के अनुसार हैः

- विविधता का प्रबंधन करने के बारे में ऑफ़िस ऑफ़ दि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर (ODPM) की नीतियाँ।
- ऑफ़िस ऑफ़ दि कमिश्नर फॉर पब्लिक अप्वाइंटमेंट (OCPA) की आचार–सहिंता।
- संबंधित क़ानून

3. नीति को लागू करना

नीति को तीन शीर्षकों के अंतर्गत लागू किया आएगा।

- कार्यवाही
- पुनर्निरीक्षण
- निगरानी

4. कार्यवाही

कार्यवाही जारी रहने वाले आधार पर की जाएगी ताकि निश्चित किया जा सके किः

- पैनलों में नए सदस्यों की भर्ती जितना ज़्यादा संभव हो सके समाज और उन क्षेत्रों की विविधता को प्रतिबिंबित करे जिन्हें पैनलें अपनी सेवा देती हैं
- पैनल के सदस्यों और स्टाफ़ के प्रबंधन का संचालन समान अवसरों की अच्छी कार्यविधि के अनुरूप किया जाए
- सदस्यों और स्टाफ़ के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाए ताकि समान अवसरों के मुद्दों के बारे में उनकी जानकारी और जागरुकता को कायम रखा जा सके और आगे बढ़ाया जा सके

पैनल के उपयोगकर्ताओं के साथ एक निष्पक्ष और समान आधार पर व्यवहार किया जाए, ताकि

- उपयोग करने वाले सभी लोगों को पैनल के सदस्यों और स्टाफ़ के साथ उनके संबंधों में उचित व्यवहार मिले;
- शारीरिक रुप से असमर्थ लोगों के लिए सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करना जितना संभव हो सके आसान बनाया जाए (नोट करेंः यह शायद सुनवाइयों में हमेशा व्यावहारिक न हो जहाँ स्थान का चुनाव सीमित होता है);

देखने या सुनने संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए जहाँ संभव हो, सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ;

जिन लोगों को इंग्लिश बोलने या समझने में समस्याएँ आती हैं, उनके लिए जहाँ संभव हो, अनुवादक या अनुवाद उपलब्ध कराए जाएँ।

5. निगरानी

RPTS अपनी नीतियों और कार्यवाहियों पर लगातार निगरानी रखेगा ताकि निश्चित किया जा सके कि वे समान अवसरों की सबसे अच्छी कार्यविधि के अनुरूप हों। जैसी ज़रूरत पड़े, ODPM और कैबिनेट ऑफ़िस में रिपोर्टें जमा की जाएँगी।

6. पुनर्निरीक्षण

समय–समय पर मैनेजमैंट बोर्ड द्वारा इस नीति का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और जैसी ज़रूरत हो, मौजूदा सबसे अच्छी कार्यविधि के अनुरूप इसे नवीनतम बनाया जाएगा।

7. शिकायतें

इस नीति और इसके लागू किए जाने से उत्पन्न होने वाली किन्हीं भी शिकायतों पर स्थापित RPTS शिकायत प्रक्रिया के माध्यम से काम किया जाएगा।

8. भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ

RPTS के अन्दर, निम्नलिखित भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को पहचाना गया हैः

इस नीति, इसे लागू करने, इसकी निगरानी और पुनर्निरीक्षण के लिए संपूर्ण तौर पर ज़िम्मेदारी प्रबंधन बोर्ड की है।

पैनल प्रेज़िडेंट अपने सदस्यों के भर्ती और प्रबंधन के संबंध में नीति को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, और उनके माध्यम से सुनवाइयों में और कमेटियों एवं ट्राइब्यूनलों द्वारा किए गए फ़ैसलों में समान अवसरों की अच्छी कार्यविधि का पालन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

पैनल के चेयरमेन सुनवाइयों में और उनसे संबंधित फ़ैसलों में समान अवसरों की अच्छी कार्यविधि के लिए ज़िम्मेदार हैं।

पैनल स्टाफ़ की भर्ती और प्रबंधन में और पैनल का उपयोग करने वालों और जनता के अन्य सदस्यों के साथ उनके संबंधों में समान अवसरों की अच्छी कार्यविधि के लिए ऑपरेशंस डाइरेक्टर की संपूर्ण तौर पर ज़िम्मेदारी है।

ऑपरेशंस डाइरेक्टर के अंतर्गत रिजनल मैनेजर अपने पैनलों में अपने स्टाफ़ की भर्ती और व्यवहार में समान अवसरों की अच्छी कार्यविधि के लिए ज़िम्मेदार हैं।

9. वापसी प्रतिक्रिया

इस नीति बयान को संशोधित करने के लिए टिप्पणियाँ और प्रस्ताव इस पते पर भेजे जाने चाहिएः Chief Executive , RPTS, 10 Alfred Place, London WC1E 7LR

कॉपीराइट 2005

फ़ोन पर पूछताछ

आपके प्रश्नों का जवाब देने, ट्राइब्यूनल प्रकाशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने और ट्राइब्यूनल प्रणाली कैसे काम करती है, यह बताए जाने के लिए हमारी सार्वजनिक पूछताछ लाईन पर फ़ोन करें।
पूछताछ लाईन का नंबर है
0845 600 3178